

नगर निगम, जयपुर ग्रेटर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनुज्ञा पत्र

लाइसेंस/ आवेदन नं.	TRADE/2024-25/20998	जारी दिनांक	06-JUN-2024
लाइसेंस अवधि	1 YEAR (Valid_Upto:31-MAR-2025)		
श्री/श्रीमती (आवेदक)	JAIMINI UBEROI		
प्रतिष्ठान का नाम	THE LIV HOTEL A UNIT OF JMOHANCO		
प्रतिष्ठान का पता	C-54-A, SAILEELA, SAROJNI MARG., C-SCHEME, JAIPUR, WARD NO 150, JAIPUR GREATER, JAIPUR, RAJASTHAN-302001		
व्यवसाय का विवरण	HOTEL UPTO 20 ROOMS (NON STAR)		

लाइसेंस हेतु शर्तें

- लाइसेंस उपरोक्त वर्णित व्यवसाय एवं अवधि हेतु ही मान्य है। अवधि समाप्ति की तिथि से 30 दिवस की अवधि में लाइसेंस लौटीकरण हेतु आवेदन किया जाना अनिवार्य है अल्पथा लाइसेंस पीस के अलावा प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत राशि शास्त्र बयूल की जायेगी।
- होटल में उपलब्ध समर्त प्रकार के कमरों के फिराये की सूची प्रदर्शित होनी चाहिए तथा रेस्टोरेंट में उपलब्ध खाने-पीने के समर्त खाद्य पदार्थों की विक्रय दर प्रदर्शित होनी चाहिए।
- होटल एवं रेस्टोरेंट में धुमपान हेतु पृथक से रखाने चिह्नित होना चाहिए तथा इसके अतिरिक्त समर्त क्षेत्र धुमपान निषिद्ध क्षेत्र होना चाहिए।
- प्रतिबन्धित पॉलियीन कैरी बैग्स का उपयोग नहीं किया जा सकेगा, पाये जाने पर लाइसेंस निरस्त किया जा सकेगा/जुमानी की कार्यवाही की जायेगी।
- प्रतिष्ठान में उत्पन्न होने वाले गीले एवं सूखे कचरे को पृथक - पृथक छनदार कचरा पात्र में संग्रहित कर सही प्रकार से निरस्त करना होगा। इसका उल्लंघन करने पर नियमाबुरार कार्यवाही की जायेगी।
- प्रतिष्ठान में पीने व खाद्य पदार्थ निर्माण हेतु साफ व शुद्ध पेयजल का उपयोग करना होगा। यदि संस्थान में स्वयं का पानी का स्रोत है तो अधिकतम छः माह में पानी की वायोलोजिकल व कैमिकल (ऐविक व रासायनिक) जांच माव्यता प्राप्त रास्थान से करवाकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- खाने पीने की चीजों को ढक कर, ठंडी व सूखी जगह पर रखना होगा।
- होटल, बर्टन, फर्नीचर व जो आदमी काम करते हैं उनके कपड़ों की सफाई का खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए एवं खाद्य पदार्थ निर्माण रथल पर एप्रिन, केप व दरतानों आदि का उपयोग करना होगा।
- प्रतिष्ठान में खाद्य पदार्थ बनाये जाने वाली सामग्री अवधिपार नहीं होनी चाहिए व कच्चा मांस /चिकन/मछली आदि कय की गई सामग्री का कैश में प्रतिष्ठान पर रखना होगा।
- फूड हैंडलर (खाना बनाने व सर्व करने वाले) किसी भी प्रकार की धूत की विगारी (जैसे टाइफाइड, पैराटाइफाइड, हैंजा, रसाइन फ्लू, रिकब डिजीज, चिकनपोक्स, डी.बी.) से ग्रसित होना चाहिए एवं इस हेतु समर्त फूड हैंडलर्स रसाफ का मेडिकल सीटिफिकेट आवेदन के समय एवं स्वास्थ्य अधिकारी के विरेशों के अनुसार एवं रसाफ के चेंज होने पर समय-समय पर प्रस्तुत करना होगा।
- प्रतिष्ठान में एक विरीक्षण पुरितका रखनी होगी व समय समय पर विरीक्षण के दोराव दिये जाने वाले विरेशों की पालना तीव्र दिवस में करनी होगी।
- प्रतिष्ठान में मक्की मच्छर व अन्य कीटों को भगाने हेतु संगुरित व्यवस्था रखनी होगी।
- प्रतिष्ठान में गाहकों एवं कर्मचारियों के लिए साफ व स्वच्छ शौचालयों की समुचित व्यवस्था सोनी चाहिए।
- परिसर में आपदा प्रवंधन एवं अग्निशमन सम्बन्धी उपकरण एवं संगुरित जानकारी सहज, सदृश उपलब्ध एवं अंकित होनी चाहिए।
- लाइसेंस को प्रतिष्ठान रथल एवं प्रतिष्ठान की वेबसाइट में ऐसी जगह प्रदर्शित किया जाये, जो सहज दृश्य हो।
- प्रतिष्ठान में गाहकों हेतु एक शिकायत पुरितका संधारित करनी होगी। अंकित शिकायत का समाधान कर शिकायतकर्ता को अवगत करना होगा, शिकायत पुरितका का विरीक्षण साक्षम अधिकारी द्वारा विरीक्षण के दोराव किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 340 एवं इसके तहत बने उपनियम की समर्त शर्तों की पालना करेंगे, किसी भी शर्त के उल्लंघन की विरोधी में जुमानी की अद्यता अनुज्ञा-पत्र निरस्त करने की वियमाबुरार कार्यवाही की जायेगी।
- यह अनुज्ञा पत्र रुप टॉप रेस्टोरेंट के लिए मान्य नहीं है।



Signed by: Rashmi Kankaria

Designation: CHO

Location: JAIPUR GREATER,

Rajasthan

Date: 06/06/2024 10:59:15

अनुज्ञापन अधिकारी

नगर निगम, जयपुर ग्रेटर

Page 1 of 1